



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code - 342013, Email - hc-rj@nic.in

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


ई-निविदा सूचना

क्रमांक: एचसी/एसके/उपापन/2024-25/76

दिनांक 21.12.2024

राजस्थान उच्च न्यायालय संस्थापन में एक वर्ष तक 47 कुक की सेवाएं (उच्च कुशल कार्मिकों द्वारा) Job Basis पर उपलब्ध करवाये जाने हेतु दरों के क्रम में अधिकृत संस्थान/संस्था/फर्म/ठेकेदार/पंजीकृत सेवाप्रदाताओं से ऑनलाइन निविदाएं दिनांक 11.01.2025 को सांय 05.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें <https://www.hcraj.nic.in>, <https://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। (निविदा का अनुमानित मूल्य रूपये 2,00,00,000/-)

आज्ञा से,


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code - 342013, Email - hc-rj@nic.in

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

ई-निविदा सूचना

क्रमांक: एचसी/एसके/उपापन/2024-25/76

दिनांक : 21.12.2024

राजस्थान उच्च न्यायालय संस्थापन में एक वर्ष तक 47 कुक की सेवाएं (उच्च कुशल कार्मिकों द्वारा) Job Basis पर उपलब्ध करवाये जाने हेतु दरों के क्रम में अधिकृत संस्थान/संस्था/फर्म/ठेकेदार/पंजीकृत सेवाप्रदाताओं से ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं, निविदा का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

कार्य का नाम	आउटसोर्सिंग द्वारा कुक की सेवाएं जॉब बेसिस पर लिये जाने के सम्बन्ध में।
निविदा शुल्क (Non Refundable)	4000/- (रूपये चार हजार मात्र)
प्रोसेसिंग शुल्क (Non Refundable)	2000/- (रूपये दो हजार मात्र)
अनुमानित लागत	2,00,00,000/- (रूपये दो करोड मात्र)
धरोहर राशि	4,00,000/- (रूपये चार लाख मात्र)
निविदा डाउनलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 23.12.2024 प्रातः 10.00 बजे से
निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 11.01.2025 सायं 05.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र मय दस्तावेज एवं शुल्क कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 13.01.2025 दोपहर 02.00 बजे तक
निविदा खोले जाने की तिथि व समय	दिनांक 13.01.2025 दोपहर 02.30 बजे
निविदा प्रपत्र सामने दर्शायी वैबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती है	http://www.hcraj.nic.in , https://eproc.rajasthan.gov.in , http://sppp.rajasthan.gov.in

- e-Tender Processing fess :- Rs. 2000/- (Rupees Two Thousand only) ,
(in Favour of MD, RISL, Jaipur).
- Cost of Tender Document :- Rs. 4000/- (Rupees Four Thousand only),
(in Favour of Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur).
- निविदा प्रपत्र मय दस्तावेज एवं शुल्क (मूल रूप से) दिनांक 13.01.2025 दोपहर 02.00 बजे तक कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है, जिसके अभाव में सम्बन्धित निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा।

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code – 342013, Email – hc-ri@nic.in

Index

S. No.	Particulars	Page No.
1	INVITATION FOR BIDS (IFB) & NOTICE INVITING TENDER (NIT)	4
2	Terms & Condition of Tender	5 to 12
3	Details of enclosed Annexure	
	Annexure-A <u>Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest</u>	13
	Annexure-B <u>Declaration by The Bidder regarding Qualification</u>	14
	Annexure-C <u>Grievance Redressal during Procurement Process</u>	15-16
	Annexure-D <u>Additional Conditions of Contract</u>	17
	Annexure-1 <u>Tender Form</u>	18
	Annexure-2 <u>Financial BID (BOQ)</u>	19
	Annexure-3 <u>Experience Details</u>	20
	Annexure-4 <u>Declaration Letter by The Bidder</u>	21
	Annexure-5 <u>RTGS Details of Firm (on firm Letter Head)</u>	22
	Annexure-6 <u>Draft Agreement Format (on Non-Judicial stamp)</u>	23-24



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code – 342013, Email – hc-rj@nic.in

INVITATION FOR BIDS (IFB) & NOTICE INVITING TENDER (NIT)

- 1) Rajasthan High Court, Jodhpur invites electronic bid (eBid) proposals from reputed, competent service providers, who meet the minimum eligibility criteria as specified in this bidding document for “ **for taking services of cook on job basis at the Establishment of Rajasthan High Court.**”, as detailed in the section titled “**scope of work**” of this NIT document.
- 2) The complete bidding document has been published on the website <http://eproc.rajasthan.gov.in>, for the purpose of downloading.
- 3) Bidders who wish to participate in this bidding process must register on <http://eproc.rajasthan.gov.in>.
- 4) To participate in online bidding process, Bidders must procure a Digital Signature Certificate (Type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can digitally sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safecrypt, Ncode etc. Bidders who already have a valid Digital Signature Certificate (DSC) need not procure a new DSC.
- 5) A One envelope selection procedure shall be adopted.
- 6) Bidder (authorised signatory) shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal. However, DD for Tender Fees, RISL Processing Fees and EMD should be submitted physically at the office of Tendering Authority as prescribed in NIT and scanned copy of same should also be uploaded along with the technical bid/ cover.
- 7) RHC will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload the complete bid well advance in time so as to avoid 11th hour issues like slow speed; choking of web site due to heavy load or any other unforeseen problems.
- 8) No contractual obligation whatsoever shall arise from the NIT/ bidding process unless and until a formal contract is signed and executed between the tendering authority and the successful Bidder.
- 9) RHC disclaims any factual/ or other errors in this document (the onus is purely on the individual bidders to verify such information) and the information provided herein are intended only to help the bidders to prepare a logical bid-proposal.



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code - 342013, Email - hc-ri@nic.in

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें ::

A. निविदा जारी करने वाले का नाम एवं निविदा का विवरण

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राज०), फोन: 0291-2888500 फैक्स: 0291-2888080, ईमेल - hc-ri@nic.in
2. निविदा सूचना राज्य सरकार के नियमों के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के साथ राजस्थान सरकार एवं विभाग की अधिकृत वेबसाइट <http://hcraaj.nic.in/>, <https://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर भी प्रकाशित की जायेगी।
3. निविदादाता से अपेक्षित है कि वह ऑनलाइन निविदा जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा का भली-भांति अध्ययन कर ले। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना की अंतिम तिथि से पूर्व तक कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विभाग किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ अथवा उससे पूर्व निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर राशि विहित रूप में जमा करानी अनिवार्य है जिसके बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी। यदि निविदादाता किसी प्रकार की नियमानुसार छूट चाहता है तो उसे निविदा में उसका उल्लेख करते हुए सम्बन्धित प्रपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होंगी, अन्यथा उक्त निविदा को छूट के योग्य नहीं समझा जायेगा।
5. विभाग द्वारा समय पर प्राप्त निविदाओं को, निविदा सूचना में दर्शाये गए समय एवं दिनांक को, क्रय समिति के सदस्यगणों द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।
6. निविदादाता द्वारा निविदा निर्धारित प्रारूप में अनुलग्नकों के तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर व मुहर लगाकर वेबसाइट पर अपलोड करना होगा एवं एक कॉपी प्रिन्ट करके कार्यालय में निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर राशि के साथ अंतिम तिथि व समय से पूर्व जमा करवानी होगी। उक्त के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
7. विभाग को किसी भी स्तर पर निविदा को, पूर्ण अथवा भाग को स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त निविदाओं के निविदादाताओं से कोई विचार-विमर्श नहीं किया जायेगा।
8. निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार्य नहीं होगी।

B. कार्य का विवरण

1. यह ई-निविदा राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ, जोधपुर एवं पीठ कार्यालय, जयपुर के माननीय न्यायाधिपतिगणों के आवासीय कार्यालयों के उपयोगार्थ आउटसोर्सिंग द्वारा कुक की सेवाएं उच्च कुशल कार्मिकों द्वारा जॉब बेसिस के आधार पर लिये जाने हेतु जारी की जा रही है।
2. कुक की सेवाएं दिये जाने हेतु उच्च कुशल श्रमशक्ति का विवरण निविदा के संलग्न करना आवश्यक है।
3. सफल निविदादाता फर्म आदेशानुसार कुक की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिये बाध्य होगी।
4. कुक का कार्य- किचन में चाय, कॉफी, नाश्ता, लंच एवं डिनर वेज, नॉनवेज तैयार करना एवं अतिथियों द्वारा मांग अनुसार अन्य स्नैक्स आदि बनाना। क्रोकरी, कटलरी की साफ सफाई एवं संधारण कार्य करना। कार्य क्षेत्र में होने वाले समस्त कचरे को सुरक्षित डस्टबिन में डालना तथा प्रतिदिन काम में आने वाले समस्त बर्तनों एवं उपकरणों/रसोई की सफाई प्रतिदिन कार्यों में सेवा कार्य शुरू करने से पूर्व कुक का कार्य करने वाले व्यक्ति को करनी होगी। साथ ही संबंधित अधिकारीगण/कार्यालय द्वारा दिये गये अन्य निर्देशित कार्य भी करने होंगे।



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code - 342013, Email - hc-rj@nic.in

5. सफल निविदादाता फर्म/एंजेसी को जोधपुर एवं जयपुर में कुक की सेवाओं के सफलतापूर्वक संचालन हेतु स्वयं के स्तर/व्यय पर एक-एक सुपरवाइजर रखना होगा।

C. पात्रता के मानदंड (Eligibility Criteria)

- निविदा फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/ मालिक/कम्पनी सचिव के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भरी जाने की अवस्था में उस व्यक्ति का निविदा भरने हेतु फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/ मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा अधिकृत किया जाने वाले दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/ मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।
- पंजीकरण:-
 - (a) निविदादाता वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/SPFC/2017 दिनांक 30.04.2018 की अनुपालना में निम्न पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति निविदा के संलग्न करेगा-
 - राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970
 - कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952
 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
 - वस्तु एवं सेवा कर (GST)
 - आयकर (Pan Card)
 - राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इंडियन कंपनी एक्ट 1966 के अंतर्गत
 - (b) निविदादाता का, जो भी विधिक अस्तित्व (legal entity) हो उसके अनुसार उसका पंजीकरण तत्समय प्रवृत्त विधि में होना चाहिए। पंजीकरण का प्रमाण पत्र निविदा के साथ लगाना होगा।
नोट:- (किसी भी पंजीकरण के लागू नहीं होने की दशा में निविदादाता को स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र लैटर हैड पर अनिवार्य रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा)
 - (c) पंजीकरण प्रपत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिये, जिसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकेगी।
- कार्यानुभव:-** निविदादाता फर्म को किसी सरकारी संस्थान अथवा अर्द्धसरकारी संस्थान/ राजस्थान के सर्किट हाउस /राज्य सरकार के अधीन होटल/केन्द्रीय गेस्ट हाउस/राजकीय गेस्ट हाउस/किसी 3 स्टार होटल में कुक की सेवाएं जॉब बेसिस के आधार पर उपलब्ध करवाये जाने का न्यूनतम पांच वर्ष (5 years) का अनुभव होना आवश्यक है। इस संबंध में निविदादाता द्वारा कार्यादेश की प्रति/संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकती है।
- निविदा मूल्य :** निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित निविदा मूल्य, प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर राशि (मूल रूप से) निर्धारित तिथि व समय से पूर्व कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवायी जानी है, जिसके बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- धरोहर राशि :** निविदादाता को निविदा प्रपत्र के अनुरूप निविदा के अनुमानित मूल्य की 2 प्रतिशत राशि नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अमानत राशि हेतु जो कि 'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर' के नाम से देय हो, निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। निविदा प्रपत्र के साथ नकद की रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा। निविदादाताओं को धरोहर राशि (EARNEST MONEY), आवश्यक रूप से निविदा जमा करवाने के समय जमा करवानी है। धरोहर राशि (मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नकद रसीद) के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code – 342013, Email – hc-rj@nic.in

6. **अनुलग्नक :-** निविदादाता द्वारा रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप (Annexure-04) में undertaking प्रदान करेगा, जिसमें वह स्पष्ट रूप से निविदा के साथ लगाये गये प्रपत्रों/दस्तावेजों के सत्य होने को उल्लिखित करेगा। साथ ही निविदादाता यह भी प्रमाणित करेगा कि निविदादाता फर्म को केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा Black Listed नहीं किया गया है।
7. निविदादाता फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22,2022-23,2023-24) का कुल टर्नओवर न्यूनतम राशि रुपये दस करोड होना आवश्यक है। इससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है।
8. निविदादाता फर्म द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रतियां निविदा के संलग्न करनी होगी।
9. निविदादाता फर्म द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में जीएसटी जमा के चालान की सत्यापित प्रतियां निविदा के संलग्न करनी होगी।
10. निविदादाता फर्म द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, Minimum Wages Act, Workmen Compensation Act and other relevant legal compliances की पालना किये जाने हेतु बाध्य रहेगी।

D. बिड (प्रस्ताव) प्रस्तुत करने की विधि (Method for submission of the Proposal):

निविदा राजस्थान सरकार के ई-पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर एकल निविदा (Single Part) में निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न (Upload) करते हुये भरी जायेगी –

Online Bids Envelope shall include the following documents				
SNo.	Documents	Documents Type	Document Content	File Types
1	Fee Details (The scanned copy of EMD instruments)	Tender Fee	Scanned copy of Fee Receipt / DD/ Banker's Cheque	.PDF
		RISL Processing Fee	Scanned copy of DD/ Banker's Cheque	
		EMD (2% of estimated cost)	Scanned copy of DD/ Banker's Cheque/ Bank Guarantee as per RTPP Act, 2012	
2	The requirements as mentioned in the NIT & Complete BID Document.	Pre-Qualification Documents		.PDF
		Tender Form	as per Annexure 1	
		Experience Details	as per Annexure-3	
		Declaration Letter by The Bidder	as per Annexure-4	
		RTGS Details of Firm (on firm)	as per Annexure-5	
Document related Eligible Criteria	As per Tender Document			
3	Price Bid (BOQ)	Price BID (BOQ)	as per Annexure-2	.XLS

Note : (i) Price Bid needs to be submitted only on e-procurement website as per the BoQ template.

E. दरें/मूल्य

1. निविदा प्रपत्र में दरें भारतीय रूपयों में लिखी होनी चाहिये, वर्णित दरें जीएसटी इत्यादि के सहित होनी चाहिये।
2. दरों में काँट छॉट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें अलग से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। दरें अंको व शब्दों दोनों में लिखनी होगी।
3. निविदा में शब्दों एवं अंकों में भिन्नता पाए जाने की स्थिति में शब्दों में वर्णित दरों को सही मानते हुए तुलना की जावेगी। यदि गणना में कोई त्रुटि है तो अलग अलग दरों को सही मानते हुए इनके योग की गणना कर तुलना हेतु लिया जावेगा।



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code - 342013, Email - hc-ri@nic.in

4. सामान्य स्थितियों में निविदा के पश्चात बातचीत नहीं की जायेगी। तथापि, बातचीत निम्नतम निविदाकारों से उन परिस्थितियों में की जा सकती है जहाँ रिंग मूल्य उद्धरित किए गए हों या दरें अत्यन्त विचारणीय हों एवं प्रचलित बाजार दर से अत्यधिक प्रतीत हों। स्वीकार्य दरों के असमाधानप्रद उपलब्धि के मामले में क्रय समिति निम्नतम निविदाकार को नियमानुसार प्रति प्रस्ताव करने का भी निश्चय कर सकती है। यदि प्रतिप्रस्ताव निम्नतम निविदाकार को स्वीकार्य न हो तो समिति निविदाओं को नामंजूर करने और निविदा पुनः आमंत्रित करने या उसी प्रतिप्रस्ताव को द्वितीय, तृतीय निम्नतम निविदाकार व इसी क्रम में अन्य निविदाकार को प्रतिप्रस्ताव दिया जा सकता है जो प्रतिप्रस्ताव को स्वीकार करे।
5. किसी फर्म द्वारा BoQ में भरी गयी दरें न्यूनतम (L1) होने के पश्चात भी फर्म की निविदा स्वीकार कर कार्यादेश जारी करना उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। संबंधित निविदा को कार्यालय की आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने के पश्चात ही सम्बन्धित कार्यादेश जारी किया जायेगा।
6. दो या अधिक निविदादाताओं की दर समान आने पर सफल निविदादाता का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जायेगा (1) फर्म/एजेन्सी का अनुभव, (2) फर्म/एजेन्सी की प्रोफाइल

F. अमानत राशि/प्रतिभूति राशि

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के अनुरूप निविदा के अनुमानित मूल्य की 2 प्रतिशत राशि नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अमानत राशि हेतु जो कि 'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर' के नाम से देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्ति के पश्चात 7 दिवस के भीतर Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के नियम 75 के प्रावधानों की अनुपालना में निविदा के अनुमानित मूल्य की 05 प्रतिशत राशि नकद/ बैंक गारण्टी/डी.डी. प्रतिभूति राशि के रूप में रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में जमा करानी होगी, निविदा के संलग्न जमा 2 प्रतिशत धरोहर राशि (Earnest Money) इसमें समायोजन योग्य होगी।
3. यदि कोई निविदा प्रपत्र बिना धरोहर राशि के अथवा निर्धारित अमानत राशि से कम का पाया जाता है तो उसे बिना कारण बताये अस्वीकार किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
4. यदि कोई निविदा प्रपत्र बिना निविदा शुल्क या प्रोसेसिंग शुल्क के अथवा निर्धारित राशि से कम का पाया जाता है तो उसे बिना कारण बताये अस्वीकार किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
5. सभी असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा अमानत राशि निविदा के सफल निस्तारण के पश्चात लौटा दी जायेगी तथा इसके लिये किसी प्रकार ब्याज इत्यादि देय नहीं होगा।
6. धरोहर राशि का समपहरण (Forfeiture of Security Deposit) :- निम्नलिखित मामलों में धरोहर राशि को समपहृत कर लिया जाएगा:-
 1. जब निविदादाता निविदा खुलने के पश्चात अपनी निविदा प्रत्याहृत या उपांतरित करता है।
 2. जब निविदादाता प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है :-
 - (a) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
 - (b) जब निविदादाता प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य संपादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
 3. यदि निविदादाता Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के अध्याय 6 (CHAPTER VI) में विनिर्दिष्ट निविदादाता के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code - 342013, Email - hc-rj@nic.in

7. **प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Security Deposit) :-** निम्नलिखित मामलों में प्रतिभूति राशि को समपहृत कर लिया जाएगा:-

- जब संविदा में किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो,
- जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो,
- जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हुए निविदादाता को नोटिस दिया जाएगा,
- प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय:- अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के तीन माह पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप निविदादाता को लौटा दिया जावेगा।
- निविदा अनुबन्ध के दौरान, यदि निविदादाता अनुबन्ध को बीच में छोड़कर चला जाता है अथवा निर्धारित अवधि तक अनुबन्ध की नियम-शर्तों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी दशा में निविदादाता की प्रतिभूति राशि और उसके बकाया भुगतान को जब्त कर निविदादाता की जोखिम व कीमत पर संबंधित सेवा हेतु अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने का अधिकार होगा तथा इसका सम्पूर्ण जोखिम निविदादाता का ही होगा।

G. अपात्रता

निविदाएं निम्न कारणों से अपात्र घोषित की जा सकती हैं :

- निविदा सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त हुई निविदाएं।
- बिना निविदा मूल्य, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बयाना राशि (मूल रूप से) के जमा निविदाएं।
- अपूर्ण निविदायें।
- भ्रामक अथवा गलत तथ्य/ दावे प्रस्तुत करने वाली निविदायें।
- विभाग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण को न प्रदान कर पाना/ तय समय से देरी से प्रदान करना।
- एक से ज्यादा निविदाएं प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी समस्त निविदाएं तकनीकी मूल्यांकन में निरस्त की जा सकेंगी।
- अपूर्ण व सशर्त निविदा प्रस्तुत करना।
- तकनीकी अहर्ताओं का पूर्ण न कर पाना। वांछित अनुभव का न होना।
- निविदादाताओं अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांछित रूप से प्रभाव डालना/ डलवाना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टीकरण करना।
- अल्प वैद्यता वाली निविदा प्रस्तुत करना।

H. हर्जाना/ शास्ति/ जुर्माना

- सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जायेगा।
- सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त के 10 दिन के भीतर अथवा कार्यालय के निर्देशानुसार ही कुक की सेवाएं उपलब्ध करवायी जानी होगी। उक्त सेवाएं नियमानुसार नहीं पाये जाने पर कार्यादेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। संतोषप्रद सेवाकार्य के पश्चात ही भुगतान देय होगा। कार्यादेश की पालना निर्धारित समयावधि में ही करनी होगी। सेवाएं निर्धारित मापदण्ड/गुणवत्ता की नहीं होने पर निविदा दाता के हर्जे खर्चे पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी। साथ ही सम्बन्धित फर्म द्वारा कार्यादेश में वर्णित समयावधि में सेवाकार्य नहीं किये जाने की स्थिति में वांछित सेवा स्थानीय स्तर पर ली जायेगी। उक्त स्थिति में सेवाकार्य की अन्तर राशि सम्बन्धित निविदादाता से वसूल की जायेगी। उक्त कार्य के सम्पादन में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है, तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा न ही कोई जिम्मेवारी होगी।



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code - 342013, Email - hc-ri@nic.in

I. निविदा की सामान्य शर्तें-निर्देश

1. सफल निविदादाता को कार्यादेश दिए जाने की दिनांक से 7 दिवस में अनुबन्ध करना होगा।
2. राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा लागू न्यूनतम मजदूरी दरों से कम पर अंकित निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही कार्मिकों को अवकाश उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्मिकों की अग्रिम व्यवस्था करनी होगी।
3. संबंधित फर्म को 26 कार्यदिवसों का देय मासिक वेतन राशि एवं 4 मासिक साप्ताहिक अवकाश हेतु देय वेतन राशि के साथ निर्धारित कॉलम में राशि भरकर प्रस्तुत करें।
4. उपरोक्त वर्णित सेवाकार्य राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तथा समय समय पर राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराए जावेंगे।
5. उक्त सेवाओं हेतु उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भोजन, जलपान, आवास एवं विश्राम के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
6. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों/स्टाफ का ESIC, EPF, GST आदि किसी भी प्रकार के पंजीयन एवं उसकी राशि जमा कराने का दायित्व संबंधित फर्म/एजेंसी का होगा।
7. अनुबंध अवधि के दौरान कार्यरत व्यक्तियों के बीमार हो जाने, शीघ्र अस्पताल ले जाने, कोई दुर्घटना घटित हो जाने या मृत्यु हो जाने आदि इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार का मुआवजा राशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म द्वारा ही होगा एवं फर्म/एजेंसी अपने स्तर पर कार्मिकों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करवा सकती है, इस हेतु इस कार्यालय द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. अनुबंध अवधि के दौरान कार्यरत व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन निविदादाता को करवाना होगा, आपराधिक व्यक्तियों को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
9. फर्म द्वारा उपलब्ध करवाया गया कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति कार्य के समय कार्यालय द्वारा निर्धारित एवं सम्बन्धित फर्म द्वारा उपलब्ध करवाई गई साफ-सुथरी वर्दी में, बैच/आई कार्ड लगाकर ही ड्यूटी पर रहेंगे तथा वर्दी/कपडा एवं धुलाई व्यय फर्म द्वारा देय होंगे।
10. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश जारी होने के अधिकतम सात दिन में उसके स्वयं के खर्चे पर 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एग्रीमेन्ट करवाना होगा एवं स्वीकृत दरें आदेश की दिनांक से अथवा आदेश में उल्लेखित तिथि से एक वर्ष तक के लिए ही विधिमान्य होगी लेकिन इस अवधि को आपसी सहमति के आधार पर नियमानुसार बढ़ाया/घटाया जा सकेगा।
11. एजेंसी द्वारा स्थानीय पुलिस से सत्यापित केवल सद्चरित्रकर्मी ही कार्यों के लिए भेजे जावेंगे, जिनके निवास, चाल-चलन, बीमा, पारिश्रमिक, पीओएफ, ई.एस.आई. आदि समस्त प्रकार के रिकार्ड के लिए फर्म/एजेंसी ही जिम्मेवार होगी।
12. निविदादाता को अनुमोदित कार्य किसी भी स्थिति में सबलैट स्वीकार्य नहीं होगा।
13. निविदादाता अपनी दरें प्रस्तुत करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि समस्त कार्य निविदा प्रपत्र में अंकित विवरण के अनुसार ही करवाए जावेंगे। किसी भी कार्मिक के साप्ताहिक अवकाश एवं अनुपस्थित रहने पर उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
14. एजेंसी को प्रतिमाह बिल प्रस्तुत करने पर टीडीडीएस की राशि काटकर ही भुगतान ऑनलाइन जमा करवाया जायेगा एवं एजेंसी द्वारा कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर/स्वीकृत दर से भुगतान भी बैंक के माध्यम से ही किया जावेगा।
15. एजेंसी/फर्म के व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी लापरवाही स्वरूप होने वाली हानि के लिये एजेंसी ही जिम्मेदार होगी।
16. स्वीकृत फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अधिकतम तीन नोटिस पश्चात् कार्यादेश निरस्त करते हुए धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
17. निविदादाता द्वारा जॉब बेसिस कार्य पर लगाए गए श्रमिक राजस्थान उच्च न्यायालय में किसी प्रकार की नियुक्ति हेतु योग्य नहीं होंगे एवं न ही राजस्थान उच्च न्यायालय संस्थापन में किसी प्रकार की नियुक्ति हेतु क्लेम कर सकेंगे।
18. कुक की सेवा में उपयोग आने वाली समस्त मशीन/उपकरण का उपयोग किये जाने पर इसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा एवं उनके खराब होने पर ठीक करवाने की जिम्मेवारी भी संबंधित फर्म की ही होगी।



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code - 342013, Email - hc-ri@nic.in

19. कुकिंग कार्य में समस्त प्रकार का कुकिंग कार्य-सब्जियां काटना, गीले/सूखे मसाले पीसना, चपाती बेलना, सैंकना, किचिन की समस्त साफ सफाई, बुहारी, पौछा, जाले साफ करने का कार्य, सफाईकर्मों से सिंक के ड्रेनेज की नियमित रूप से सफाई कराना, मिक्सी, गैस बर्नर, एग्जॉस्टफैन, चिमनी आदि की नियमित रूप सफाई करवाना एवं कच्ची खाद्य सामग्री का उचित आकार के कंटेनर्स में संधारण करना होगा।
20. निर्धारित संख्या के अनुसार कुक उपस्थित नहीं होने पर, स्वीकृत दर से अनुपस्थित व्यक्तियों के पारिश्रमिक के बराबर राशि देय नहीं होगी, तथा उतनी ही राशि क्षतिपूर्ति स्वरूप निविदादाता से पृथक से वसूल की जावेगी, किसी भी कर्मों का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर उस कर्मों के स्थान पर अविलम्ब ही अन्य कर्मों लगाना होगा एवं फर्म द्वारा माह विशेष में वास्तविक दिनों के अनुसार ही बिल प्रस्तुत किया जावेगा।
21. निविदादाता यदि किसी नए कर्मों को कार्य पर लगाता है तो इसकी सूचना स्वयं के द्वारा अग्रिम में ही कार्यालय को दी जायेगी एवं 18 वर्ष से कम की आयु के नाबालिग को कार्य पर नहीं लगाया जा सकेगा एवं उसके ईपीएफ, ईएसआई रजिस्ट्रेशन एजेंसी द्वारा करवाने होंगे।
22. जॉब बेसिस कार्य की अवधि प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष की होगी।
23. निर्धारित कुक कार्य हेतु उच्च दक्षताधारक व्यक्तियों को नियुक्त करना, सफल निविदाधारक की जिम्मेवारी होगी; साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी समय भी उक्त वर्णित कुक कार्य में बाधा, कार्मिकों की अनुपलब्धता आधार मात्र पर उत्पन्न न हो।
24. राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन के अनुसार कार्मिकों को भुगतान योग्य दरें ही कार्यालय राजस्थान उच्च न्यायालय के विवेक पर संशोधित की जा सकती है।
25. सफल निविदादाता द्वारा यदि अपनी कार्यशैली/कार्यव्यवस्था में उपरोक्त बिन्दुओं के प्रति लापरवाही परिलक्षित की जाती हैं अथवा चाही गई कार्यव्यवस्था के क्रम में दर्शायी गयी शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं किया जाता हैं तो निम्न सारणी में दर्शाये गए कारणों के अनुरूप आर्थिक दण्ड (पैनल्टी) की कटौती सफल निविदादाता के मासिक बिल से की जावेगी, जो कि, सफल निविदादाता को स्वीकार्य होगी। ज्ञात रहे, वित्तीय निविदा प्रपत्र में घोषित सेवादाताओं की संख्या में कमी की स्थिति उत्पन्न होती है तो जहां एक ओर अनुपस्थित रहे सेवादाता की अनुपस्थिति दर्ज कर भुगतान नहीं किया जावेगा वही दूसरी ओर, इस कारण उत्पन्न हुए सेवादोष के फलस्वरूप वैकल्पिक व्यवस्था हेतु आर्थिक दण्ड पृथक से लागू होगा। इस हेतु, कार्यालय, राजस्थान उच्च न्यायालय प्रतिमाह सफल निविदादाता फर्म को प्रदाय की जा रही सेवाओं के दोष का कारण बताते हुए कटौती की राशि की जानकारी पत्र के माध्यम से भेजेगा।

क्र.सं.	सेवादोष का कारण	अनुपस्थिति	आर्थिक दण्ड (पैनल्टी)
1.	सेवादाता कार्य पर 1 घंटे की देरी से आता है।	0.5 दिन
2.	सेवादाता अनुपस्थित रहता है।	01 दिन	रु. 250
3.	सेवादाता अपेक्षित ग्रूमिंग में नहीं आता है।	0	रु. 20
4.	सेवादाता द्वारा कार्य में घोर लापरवाही की जाती है जैसे-आवंटित कर्तव्यों के प्रति पूर्ण उदासीनता, कार्य सम्बंधित निर्देशों की अवहेलना इत्यादि।	0.5 दिन	रु. 250

26. अधोहस्ताक्षरकर्ता सबसे कम मूल्य वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है।
27. सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पक्ष में सुरक्षित रहेगा तथा वह एक प्रकार की सेवा के लिये एक से अधिक निविदादाता को कार्यादेश देने के लिये स्वतंत्र होगा।
28. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर उक्त निविदा के सफलता पूर्वक सम्पादन हेतु वर्णित नियम एवं शर्तों में किसी भी प्रकार के बदलाव/शिथिलता के लिये स्वतंत्र होगा।

Ja



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code - 342013, Email - hc-rj@nic.in

29. कार्यालय निविदा प्रपत्र में वर्णित अनुसार कुक की सेवाएं दिये जाने हेतु आवासीय कार्यालयों की संख्या कम या अधिक किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा। इसके लिये निविदादाता किसी भी प्रकार का दावा करने के लिये हकदार नहीं होगा।

30. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

31. सफल निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली कुक की सेवाएं निविदा में दिये गये विवरण/शर्तों अनुसार ही हो तथा उक्त के सही नहीं होने की स्थिति में संबंधित सेवाएं द्वितीय न्यूनतम निविदादाता से ली जाकर अन्तर की राशि सफल निविदादाता से वसूल की जायेगी।

32. भुगतान हेतु विपत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा तथा भुगतान की कार्यवाही संबंधित कार्य के भौतिक रूप से सत्यापित हो जाने के पश्चात ही की जायेगी।

33. विपत्रों का भुगतान केवल ECS के माध्यम से किया जायेगा तथा इस हेतु निविदादाता को वांछित सूचना जैसे - PAN No., GSTIN No, Bank A/C No., Name of Bank, Branch, IFSC Code, MICR Code, etc. उपलब्ध करवानी होगी। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना कम अथवा गलत पाये जाने पर होने वाली देरी अथवा नुकसान की जिम्मेवारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

34. कार्यालय निविदाप्रपत्र में भरे गये सभी तथ्यों एवं उसके संलग्न दस्तावेजों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की त्रुटि/जालसाजी पाये जाने पर उसे निविदा अनुबन्ध का उल्लंघन मानते हुये आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

35. यदि किसी भी निविदादाता द्वारा केवल ऑनलाईन निविदा ही भरी जाती है, परन्तु निविदा में वर्णित निर्धारित तिथि व समय तक निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर राशि (मूल रूप से) कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा नहीं करवायी जाती है तो कार्यालय द्वारा इस प्रकार की निविदा पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा तथा उक्त निविदा निरस्त समझी जावेगी।

36. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के General Financial and Accounts Rules के नियम एवं Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

मैंने/हमने उक्त वर्णित सभी नियमों एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा मैं/हम उक्त सभी नियमों और शर्तों से पूर्णतया सहमत हैं। इस सम्बन्ध में भविष्य में किसी भी प्रकार के होने वाले विवाद के लिये मैं/हम स्वयं जिम्मेदार होंगे।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code – 342013, Email – hc-ri@nic.in

Annexure-A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in an bidding process if, including but not limited to;

- (a) have controlling partners/shareholders in common; or
- (b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- (c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) the bidder participates in more than one Bid in abiding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- (f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code – 342013, Email – hc-rj@nic.in

Annexure-B

Declaration by The Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bid No. Dated..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/We are not insolvent in receivership , bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of Bidder

Place :

Name:

Designation:

Address:



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code – 342013, Email – hc-rj@nic.in

Annexure-C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for Filing Appeal

- (a) Fee for filing appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code – 342013, Email – hc-rj@nic.in

Form No. – 1

Memorandum of Appeal

(See sub-rule 1 of rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No of

Before.....(Appellate Authority)

1 Particulars of appellant:

(i) Name and father's name of the appellant :

(ii) Official address :

(iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent(s)

(i)

(ii)

(iii)

2. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order, or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved

3. If the Appellant proposes to be represented by :
a representative the name and postal address

of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclose with the appeal:

6. Grounds of appeal:-

.....

.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer

.....

Place

Date

Appellant's Signature



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code – 342013, Email – hc-rj@nic.in

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetic errors-**

Provided that Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely: -

- (a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- (b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to vary Quantities.-**

- (a) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (b) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not more than 50% of the value of Goods/Services of the original contract during validity of contract on same terms and conditions. If the firm fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one bidder at the time of award:-**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidders, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code – 342013, Email – hc-rj@nic.in

ANNEXURE - 1

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Tender for taking services of cook on Job basis at establishment of Rajasthan High Court

NIT No. HC/SK/PROCUREMENT/2024-25/ 76

Dated: 21.12.2024

1) Addressed to :

Name of the Tendering Authority	Registrar General
Address	Rajasthan High Court, High Court Campus, Jodhpur, (Rajasthan) – 342001
Telephone	0291-2888500-504
Tele Fax	0291-2888080
Email	mailto:hc-rj@nic.in (clearly mention the NIT no. in the subject of the mail)

2) Firm Details :

Name of Firm	
Name of Contact Person with Designation	
Registered Office Address	
Address of the Firm	
Year of Establishment	
Type of Firm (Public Limited/ Private Limited/ Partnership/ Proprietary)	
Telephone/ Fax Number(s)	
Mobile Number	
Email Address/ Web Site	Email: _____ Web-Site: _____
GST No.	
PAN No.	

- 3) The requisite tender fee amounting to Rs. _____/- (Rupees <in words>) has been deposited vide DD/ BC/ receipt no. _____ dated _____.
- 4) The requisite RISL processing fee amounting to Rs. _____/- (Rupees <in words>) has been deposited vide DD/ BC _____ dated _____.
- 5) The requisite EMD amounting to Rs. _____/- (Rupees <in words>) has been deposited vide Banker's Cheque/ DD No. _____ dated _____.
- 6) Bank Detail for RTGS _____ Account No. _____ IFSC Code _____ MICR No. _____ Branch Name _____
- 7) We agree to abide by all the terms and conditions mentioned in this form issued by the Empanelment Authority and also the further conditions of the said notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of acceptance of the terms mentioned therein along with stamp of the firm).

Date:

Name & Seal of the firm: _____

Authorized Signatory: _____



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code – 342013, Email – hc-ri@nic.in

ANNEXURE-2: PRICE BID(BoQ) (on e-Proc website):

Validate **Print** **Help**

Tender Inviting Authority: Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur

Name of Work: Tender for taking services of cook on Job basis at establishment of Rajasthan High Court

Contract No: HC/SK/PROCUREMENT/2024-25/76 DATED 21.12.2024

Name of the Bidder/
Bidding Firm /
Company :

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

Sl. No.	Item Description	Total No. of Cook	Wages for 26 working days for each cook (not below @ 359 per day minl. wages for Highly-Skilled Cook) (Amount in Rs.)	Wages for 4 additional days for each cook (not below @ 359 per day minl. wages for Highly-Skilled Cook) (Amount in Rs.)	Total of Wages for each cook (Amount in Rs) (Self Assessed)	Monthly EPF Contribution for each cook (Employer share @13%) (Amount in Rs.)	Monthly ESIC Contribution for each cook (Employer share @3.25%) (Amount in Rs.)	Firm's Proposed Monthly Service Charge for each cook (Amount in Rs)	TOTAL Consolidated Amount for each Cook Without Taxes (Self Assessed) Rs. P	GST (@9% CGST & 9% SGST) IN Rs. (Self Assessed)	Total Amount for each cook (with taxes)	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MONTHLY BREAK-UP AND MONTHLY CONSOLIDATED AMOUNT FOR DEPLOYING EACH HIGH SKILLED COOK ON JOB BASIS AT ESTABLISHMENT OF RAJASTHAN HIGH COURT (Jodhpur and Jaipur as per office direction)	47.00							0.00			INR Zero Only
Total in Figures								0.00	INR Zero Only			
Quoted Rate in Words		INR Zero Only										



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code - 342013, Email - hc-rj@nic.in

ANNEXURE-3 EXPERIENCE DETAILS

Tender for taking services of cook on Job basis at establishment of Rajasthan High Court
NIT No. NIT No. HC/SK/PROCUREMENT/2024-25/76 Dated: 21.12.2024

कार्यानुभव का विवरण

क्र. सं.	पेज नं.	संस्था का नाम	अवधि (कार्यादेश की प्रति मय प्रमाण पत्र संलग्न करें)	किसी सरकारी संस्थान अथवा अर्द्धसरकारी संस्थान/राजस्थान के सर्किट हाउस/राज्य सरकार के अधीन होटल/केन्द्रीय गेस्ट हाउस/राजकीय गेस्ट हाउस/किसी 3 स्टार होटल में कुक की सेवाएं जॉब बेसिस के आधार पर उपलब्ध करवाये जाने का न्यूनतम पांच वर्ष (5 years) का अनुभव
1	2	3	4	5
		योग कुल अनुभव		

हस्ताक्षर मय सील



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code -- 342013, Email -- hc-ri@nic.in

Annexure-4

घोषणा पत्र

(रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मेरे/हमारे द्वारा घोषणा की जाती है कि कार्यालय निविदा क्रमांक एचसी/एसके/उपापन/2024-25/76 दिनांक 21.12.2024 का निविदा प्रपत्र तथा इसके सलग्न समस्त प्रपत्रों, जानकारी एवं शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि निविदा के सम्बन्ध में श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का निर्णय हमारे लिये अन्तिम एवं मान्य होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म द्वारा निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा निविदा में वर्णित सेवा से संबंधित हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कार्मिक (उच्च कुशल कुक), अनुभव इत्यादि उपलब्ध है। उक्त कार्य से सम्बन्धित हमारे यहाँ अनुभवी एवं तकनीकी कर्मचारी भी उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति (Security Deposit) को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code – 342013, Email – hc-rj@nic.in

Annexure-5

RTGS DETAILS OF FIRM (ON FIRM LETTER HEAD)

(Must be filled)

Dear sir,

We hereby confirm that we are willing to opt for payment to be received through RTGS/ NEFT. The bank details duly confirm by bank, for receipt of payment against material supply/services, miscellaneous dues.

Bank Details

- 1) Account No. :
- 2) Type of Account :
- 3) Bank Name :
- 4) Branch Name & Address :
- 5) Contact No. of the Branch :
- 6) IFSC No. :
- 7) PAN No. :

Communication Details

- 1) e-mail ID :
- 2) Cell No. :

We authorize you to decut necessary bank charges of NEFT/RTGS.

We have forwarded a soft copy of the above details to hc-rj@nic.in on date –

Yours faithfully,

(Signature & Name of auth. sign. with company/firm stamping)

Bank Confirmation

Certified that the furnished above bank details are correct as per our records.

Bank's Stamp

Authorized Signatory _____ Date _____



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code – 342013, Email – hc-rj@nic.in

Annexure-6

DRAFT AGREEMENT FORMAT

(As per rules on Non-Judicial Stamp Paper of Rs. 500/-)

{to be signed by selected bidder(s) and tendering authority}

An agreement made this _____ (enter date of Agreement) between (enter your firm's name & address) (hereinafter called "the approved supplier", which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs, successors, executors and administrators of the one part and the RHC which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns of the other part.

Whereas the approved firm has agreed with the RHC to provide service to the Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur, Rajasthan on behalf of (enter name of client organisation) to its various Offices as well as at its branch offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in our Work Order No. _____ Dated _____ appended hereto in the manner set forth in the conditions of the bidding document and contract appended herewith and at the rates set forth in the said order.

And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs. _____ in the form of: -

- a) Cash/ Bank Draft No./ Banker Cheque/ Bank Guarantee No. _____
dated. _____ valid upto _____.
- b) Post Officer Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.
- c) National Savings Certificates / Defence Savings Certificates / Kisan Vikas Patras or any other script / instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pledged under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to RHC.

Now these Presents witness:

- 1) In consideration of the payment to be made by the RHC through cheque/ DD at the rates set forth in the Work Order hereto appended the approved firm will duly provide service in our Work Order No. _____ dated ___/___/20___ thereof in the manner set forth in the NIT, Tender Form, Instructions to Bidders, Terms of Reference, General and Special Conditions of the Tender and Contract, Technical Bid and Financial Bid along with their enclosures.
- 2) The NIT, Tender Form, Scope of Work, General and Special Terms & Conditions of the Tender and Contract, Technical Bid and Financial Bid along with their enclosures enclosed with the Tender Notice **NIT No.: HC/SK/PROCUREMENT/2024-25/76 Dated 21.12.2024** and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
- 3) Letter Nos. _____ dated _____ received from {bidder} and letter Nos. _____ Dated _____ issued by the RHC. and appended to this agreement shall also form part of this agreement.
- 4) The RHC do hereby agree that if the approved supplier shall duly done service in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the RHC will through cheque/ DD pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.
- 5) The mode of payment will be as specified in this bidding document/ work order.



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 Fax No. 0291-2888080, Pin Code – 342013, Email – hc-ri@nic.in

The prescribed scope of work/ requirement of services and deployment of technical resources shall be effected and completed within the period as specified in the Work Order.

हमारे द्वारा यदि अपनी कार्यशैली/कार्यव्यवस्था में निविदा में वर्णित शर्तों/नियम/उपरोक्त बिन्दुओं के प्रति लापरवाही परिलक्षित की जाती हैं अथवा चाही गई कार्यव्यवस्था के क्रम में दर्शायी गयी शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं किया जाता है तो निम्न सारणी में दर्शाये गए कारणों के अनुरूप आर्थिक दण्ड (पैनल्टी) की निम्नानुसार/निविदा शर्तों अनुसार कटौती हमें स्वीकार्य होगी। यदि निविदा प्रपत्र में घोषित सेवादाताओं की संख्या में कमी की स्थिति उत्पन्न होती है तो जहां एक ओर अनुपस्थित रहे सेवादाता की अनुपस्थिति दर्ज कर भुगतान नहीं किये जाने एवं इस कारण उत्पन्न हुए सेवादोष के फलस्वरूप वैकल्पिक व्यवस्था हेतु आर्थिक दण्ड पृथक से लागू होने पर हमारी फर्म को स्वीकार होगा।

क्र.सं.	सेवादोष का कारण	अनुपस्थिति	आर्थिक दण्ड (पैनल्टी)
1.	सेवादाता कार्य पर 1 घंटे की देरी से आता है।	0.5 दिन
2.	सेवादाता अनुपस्थित रहता है।	01 दिन	रु. 250
3.	सेवादाता अपेक्षित ग्रूमिंग में नहीं आता है।	0	रु. 20
4.	सेवादाता द्वारा कार्य में घोर लापरवाही की जाती है जैसे-आवंटित कर्तव्यों के प्रति पूर्ण उदासीनता, कार्य सम्बंधित निर्देशों की अवहेलना इत्यादि।	0.5 दिन	रु. 250

Services shall be provided by the bidder as per terms and conditions of the NIT and Contract.

All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the RHC and the decision of the RHC shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the ____ day of ____ (Year).

Signature with Seal of the Approved

supplier/ bidder

Designation:

Date:

Witness No.1

Signature for and on behalf of

Registrar General, RHC, Jodhpur

Designation:

Date:

Witness No.1